1. Water recharging / Management & conservation / resistively survey /

मध्यप्रदेश शासन

**लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग**

मंत्रालय

क्रमांक एफ 8–33/96/2/34 भोपाल,दिनांक 31अगस्त 1999

प्रति,

1.समस्त अध्यक्ष ,जिला पंचायत .

2.समस्त अध्यक्ष ,जनपत पंचायत .

3.समस्त सरपंच ,ग्राम , पचायत.

विषयः– जल स्त्रोत के प्रबंधन में महिलाओं की सजग व सक्रीय भागिदारी सुनिश्चित करने बाबत्.

सदर्भ.– मध्यप्रदेश शासन,लो.स्वा.यां.विभाग का ज्ञाप क्र एफ8–33–96–2–34,भोपल,दिनांक 5 अगस्त 1999.

मध्यप्रदेश की महीला नीती के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई अनुशंसाके अनुपालन में जल स्त्रोतो के प्रबंध्न में महिलाओं की सजग और सक्रिय भागिदारी सुनिश्चित करने हेतु विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 5अगस्त ,1996 के तहत यह निर्देश जारी किये गये कि नलकुप खनन कार्य ,हैण्डपंप स्थापना के कार्य तथा प्लटफार्म निर्माण कार्य हेतु 4सदस्यों की एक समिती बनाईजावे जिसमे संबंधित उपयंत्री ड्रिलिंग आपरेटर, ,सरपंच तथा संबंधित वार्डका पंच सदस्य के साथ–साथ संबंधित वार्ड के महिला सदस्य या ग्राम पंचायत के एक महिला सदस्य को समिति के सदस्य के रुप में मनोनीत किया जावे .

इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह यह स्पष्ट किया, जाता है कि समिति के तहत संबंधित वार्ड की महिला सदस्य के स्थान पर संबंधित वार्ड की महिला पंच ग्राम पंचायत द्वारा नामंकित महिला पंच को सदस्य के रुप में मनोनित किया जावे.

कृप्या उपरोत्कानुसार समिति पुनर्गठित कर जल स्त्रोतोंके प्रबंधन में महिलाओं की सजग औंर सक्रिय भागिदारी सुनिश्चित की जावे

हस्ता/–
(राकेंश साहनी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .

पृ. क्र. एफ. 8–33/96/2/43 भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1999

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल

2 समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र .........

3 समस्त कलेक्टर/ सचिव, जिला योजना समिति (म. प्र.) 4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड की और सूनचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

हस्ता/–
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग